रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-07102026-276895
CG-WB-E-07102026-276895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5227] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 03, 2026/आश्विन 11, 1948
No. 5227] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 03, 2026/ASVINA 11, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 3 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5437(अ).— जबकि रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व रेलवे/निर्माण संगठन), संख्या 4578 एस.ओ. 4707 (अ), दिनांक 16 अक्टूबर 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई है (जिसे इसके पश्चात 'उक्त अधिसूचना' कहा गया है) और रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रुप में उद्धृत) की धारा 20 क उपधारा (1) के तहत जारी की गई थी, केन्द्र सरकार ने झारखण्ड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में विशेष रेलवे परियोजना के रूप मे "बूरामारा-चाकुलिया (59.96 किमी.) नई लाइन" (39.70 किमी. अनुभाग) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लिए उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है।

और, जबकि उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम के धारा 20क के उप-धारा(4) के तहत दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "प्रभात खबर" और "दैनिक भास्कर" मे दिनांक 23 नवंबर, 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20घ के तहत आपत्ति को सुनवाई के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति से कोई याचिका/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

और जबकि, उल्लिखित अधिनियम की धारा 20ङ की उप-धारा(1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्रास होने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और इसके आगे, उल्लिखित अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा घोषणा करती है कि, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, इसके साथ ही संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि पूर्णतया केन्द्र सरकार की हो जाएगी जो सभी अतिक्रमणों से मुक्त होगी।

अनुसूची

झारखंड राज्य के पुर्वी सिंहभूम जिले में विशेष रेलवे परियोजना "बूरामारा-चाकुलिया (59.96 किमी.) नई लाइन" (39.70 किमी. अनुभाग) के लिए संरचना सहित या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क) **मौजा: कुमारडुबी, थाना: घाटशिला, थाना संख्या: 948, अंचल: बहरागोड़ा, ग्रामीण, जिला: पुर्वी सिंहभूम, झारखण्ड।**

अनुक्रम संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	किस्म भूमि	प्लॉट क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेकटेयर मे)	रैयती का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	13	54	दोन 01	0.0324	0.0041	गोविन्दचन्द्र गिरी पितास्व-0 सुभा गिरी ई0
2	3	56	दोन 01	0.0851	0.0648	गौतम गिरी, पशुपति गिरी पितास्व-0 रामहरि गिरी। वृहस्पति गिरी पितास्व-0 नरहरि गिरी। अशोक गिरी, अवनी गिरी पितास्व-0 शंकर चन्द्र गिरी। कामेश्वर गिरी, मृत्युंजय गिरी, सनातन गिरी पितास्व-0 चक्रधर गिरी। वेंकटेश गिरी पितास्व-0 श्याम चांद गिरी। अशोक चन्द्र गिरी, अबनी गिरी पितास्व-0 शंकर चन्द्र गिरी।
3	17	85	दोन 01	0.1215	0.0041	अभिमन्यु गिरी पितास्व-0 दिनबन्धु गिरी।
4	17	86	दोन 01	0.0810	0.0446	कालिचरण गिरी ई0 पितायदुनाथ गिरी।-
5	17	87	दोन 01	0.0486	0.0486	अशोक चन्द्र गिरी, अबनी गिरी पितास्व-0 शंकर चन्द्र गिरी।
6	17	88	दोन 01	0.0486	0.0486	कालिचरण गिरी ई0 पितायदुनाथ गिरी।-
7	6	89	दोन 01	0.1337	0.1215	मृणाल कान्ती मण्डल पितास्व-0 सत्य किंकर मण्डल। श्री हरि मण्डल, शशांक शेखर मण्डल पितास्व-0 भागिरथी मण्डल।
8	6	90	दोन 01	0.0891	0.0891	गदाधर मण्डल पितास्व-0 घासीनाथ मण्डल।
9	6	91	दोन 01	0.0891	0.0729	श्रीमती पमा मुर्मू पति मेघराय मुर्मू।
10	7	95	दोन 01	0.0770	0.0162	गौरांग मण्डल, कृष्णा मण्डल पितास्व-0 बैकुन्ठ मण्डल।

ख) मौजाजामरिया :, थानाघाटशिला :, थाना संख्याः 929, अंचलः बहरागोड़ा, ग्रामीण, जिलाः पुर्वी सिंहभूम, झारखण्ड।

अनुक्रम संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	किस्म भूमि	प्लॉट क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेकटेयर मे)	रैयती का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	14	114	दोन 02	1.6686	0.2754	सुरकुनी सिंह पतिस्व-0 विनोद सिंह। भोलानाथ सिंह, लाल बहादुर सिंह पितास्व-0 भजहरि सिंह। श्रीमती लक्ष्मी मुण्डा पति समाय-मुण्डा। चिन्तामनी पण्डा ई0।
2	13	115	दोन 03	0.1256	0.0203	चिन्तामनी पण्डा पति श्री मानगोबीन्द पण्डा।
कुलः				**1.7942**	**0.2957**	

[फाइल सं: द.पू.रेलवे (निर्माण संगठन)/मुख्यालय/ भूमि/डीसीई/सी-II/केजीपी/एनएल/ बीडब्ल्यूओ-सीकेयू/एसआरपी/जेएच/20ई /4]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /(निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 3rd October, 2026

S.O. 5437(E).— Whereas, by the Notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (South Eastern Railway/Construction Organization), number 4578 S.O.4707(E), dated the 16th october, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), (herein after referred to as the said notification) and issued under sub section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)(herein after referred to as the said Act), the Central Government, declares its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely "Buramara-Chakulia (59.96 Km.) new line (39.70 Km. section pertains to the district: East Singbhum) in the State of Jharkhand.

And. whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers, namely ‘Prabhat Khabar’ and ‘Dainik Bhaskar’ dated 23rd November, 2025 under section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no petition/objection has been received from any person by the competent authority during hearing of objection under section 20D of the said Act;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government; Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structures for Special Railway Project “Buramara-Chakulia (59.96 Km.) new line” (39.70 Km. section pertains to the district: East Singbhum) in the State of Jharkhand.

A) Mouza: Kumardubi, Thana: Ghatshila, Thana No.948, Anchal :Baharagora, Rural, District: East Singhbhum, Jharkhand.

Sl. No.	Khata No.	Plot No.	Kisam of the Land	Plot area (in Hectare)	Area to be acquired (in Hectare)	Name of Raiyat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	13	54	Don 01	0.0324	0.0041	Govind Chandra Giri S/o Lt. Subha Giri
2	3	56	Don 01	0.0851	0.0648	Goutam Giri, Pasupati Giri S/o Lt. Ram Hari Giri. Brihaspati Giri S/o Lt. Narahari Giri. Ashok Giri, Avani Giri S/o Lt. Shankar Chandra Giri. Kameshwar Giri, Mrituyunjay Giri, Sanatan Giri S/o Lt. Chakradhar Giri. Banketesh Giri S/o Lt. Shyam Chand Giri. Ashok Chandra Giri, Avani Giri S/o Lt. Shankar Chandra Giri.
3	17	85	Don 01	0.1215	0.0041	Abhimanyu Giri S/o Lt. Dinabandhu Giri.
4	17	86	Don 01	0.0810	0.0446	Kalicharan Giri & etc. S/o Lt. Yadunath Giri.
5	17	87	Don 01	0.0486	0.0486	Ashok Chandra Giri, Avani Giri S/o Lt. Shankar Chandra Giri.
6	17	88	Don 01	0.0486	0.0486	Kalicharan Giri & etc. S/o Lt. Yadunath Giri.
7	6	89	Don 01	0.1337	0.1215	Mrinal Kanti Mandal S/o Lt. Satya Kinkar Mandal. Shri Hari Mandal, Sashanka Shekhar Mandal S/o Lt. Bhagirath Mandal.
8	6	90	Don 01	0.0891	0.0891	Gadadhar Mandal S/o Ghasinath Mandal.
9	6	91	Don 01	0.0891	0.0729	Smt. Pama Murmu W/o Meghrai Murmu.
10	7	95	Don 01	0.0770	0.0162	Goruanga Mandal, Krishna Mandal S/o Lt. Baikhunta Mandal.
TOTAL :				**0.8061**	**0.5145**	

A) Mouza: Jamaria, Thana: Ghatshila, Thana No.929,Anchal :Baharagora, Rural, District: East Singhbhum, Jharkhand

Sl. No.	Khat a No.	Plot No.	Kisam of the Land	Total area (in Hectare)	Area to be acquired (in Hectare)	Name of Raiyat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	14	114	Don 02	1.6686	0.2754	Surkuni Singh W/o Lt. Binod Singh. Bholanath Singh, Lal Bahadur Singh S/o Lt. Bhajahari Singh Smt. Laxmi Munda W/o Lt. Somay Munda. Chintamani Panda and etc.
2	13	115	Don 03	0.1256	0.0203	Chintamani Panda W/o Sri. Mangobinda Panda.
TOTAL:				**1.7942**	**0.2957**	

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/DCE/C-II/KGP/NL/BWA-CKU/SRP/JH/20E/4]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin.Officer(Con)/S.E.Railway

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.07 15:25:38 +05'30'